सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के अंतर्गत कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश की
हस्त – पुस्तिका

:::

Information Hand book of
Town & Country Planning,
District Bhopal-Sehore
Under Right to Information Act

	अनुक्रमणिका	पृष्ठ
अध्याय–1	प्रस्तावना	3
अध्याय–2	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश की विशिष्ठियां एवं कृत्य	4
अध्याय–3	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी व अधिकारियों/ कर्मचारियों की शक्तियॉ	6-10
अध्याय–4	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश में कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रतिमान	11-15
अध्याय–5	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत संधारित नियम,विनियम एवं अनुदेशों का विवरण	16
अध्याय–6	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण	17
अध्याय–7	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	18
अध्याय–8	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेशके अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद, कमेटियॉ	19
अध्याय–9	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, अधिकारियों की निदेशिका	20-21
अध्याय–10	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी	22-23
अध्याय–11	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश को आवंटित बजट	24
अध्याय–12	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी	25
अध्याय–13	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी	26
अध्याय–14	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण	27
अध्याय–15	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण	28
अध्याय–16	अन्य उपयोगी जानकारियॉ	29-43

अध्याय–1
प्रस्तावना

1.1 भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति दी गई एवं जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.10.2005 से प्रदेश में लागू किया गया है, के अनुपालन में कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी जनसाधारण के लिये उपलब्ध कराई जा रही है ।

1.2 प्रस्तुत जानकारी का उद्देश्य कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेशके दायित्वों, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश में पदस्थ पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी, उनके कर्तव्योंतथा कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश में उपलब्ध अभिलेखों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराकर कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना है ।

1.3 प्रस्तुत जानकारी जनसाधारण, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के लिए उपयोगी होने की संभावना है ।

1.4 कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के तहत निर्धारित प्रारूप अनुसार जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जावेगा ।

1.5 प्रस्तुत जानकारी में उपयोग किये गये शब्दों की परिभाषायें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अध्याय–1 में, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973, अध्याय–1 में, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 भाग–1 में के दी गई परिभाषा के अनुसार है ।

1.6 कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश
से संबंधित विस्तृत जानकारी नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना अधिकारी, जिनके संबंध में जानकारी अध्याय –8 में दी गयी है, से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

1.7 कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप व निर्धारित शुल्क का विवरण अध्याय–8 के अन्तर्गत है ।

1.8 कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश/ संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश की विस्तृत जानकारी संगठन की वेबसाईट **http://www.mptownplan.nic.in** में भी पृथक से उपलब्ध है ।

अध्याय–2

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश की विशिष्ठियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (i) के अन्तर्गत)

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 {दिनांक 16 अप्रेल 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति ''मध्य प्रदेश'' राजपत्र (असाधारण), में दिनांक 26 अप्रेल, 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई}

भूमि के निवेश तथा विकास एवं उपयोग के लिये उपबंध करने, नगर निवेश स्कीमों का उचित रीति में बनाया जाना तथा उनके निष्पादन का प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास योजनाएं तथा परिक्षेत्रीक योजनाएं तैयार करने के लिये अधिक उपबंध करने, नगर तथा ग्राम विकास योजना के उचित कार्यान्वयन के लिये नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी का गठन करने, विशेष क्षेत्रों का विकास तथा प्रशासन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के माध्यम से करने के लिये उपबंध करने विकास योजनाओं के प्रयोजनार्थ भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिये तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित होः–

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 3 (1) (ख) के अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल–सीहोर का पुर्नगठन, 1.7.1999 को किया गया है । भोपाल जिला कार्यालय का पुर्नगठन होने के उपरांत वर्तमान में श्री एस. एस. राठौर, द्वारा संयुक्त संचालक के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है । नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय भोपाल की विशेष बात यह है कि यह नगर तथा ग्राम निवेश वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित होने के कारण विधान मण्डल, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से पूर्णतः अधिनियमित है।

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल का मुख्यालय भोपाल में रखा गया है । कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल ने अपना कार्यालय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, के भवन ''कचनार'' पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल के द्वितीय तल, पर स्थापित किया है ।

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन के कार्य संयुक्त संचालक में निहित हैं एवं वे संचालक के अधीनस्थ होकर उनके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं उनके कर्तव्य व शक्तियॉ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में उल्लेखित है ।

कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार

बसाहटों के नियोजन के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अंतर्गत नगरों के नियोजन का कार्य किया जाता है, जिसके तहत नगरीय तथा विकास योजनायें बनाना, छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय अधोसंरचना विकास की योजना तैयार करना इत्यादि सम्मिलित है । उपरोक्त के अलावा जिला कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों को नियोजन संबंधी विषयों में परामर्श देने के एवं विकास योजना प्रस्तावों अनुसार विकास एवं विकास योजना प्रस्तावों के विपरित अवैध निर्माण के नियंत्रण के दायित्वों का निर्वहन भी किया जाता है । कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल–सीहोर का क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिला भोपाल–सीहोर है।

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल के मुख्यालय का पता, कार्यालयीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है :

(1) कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर/मुख्यालय का पता :–

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल ''कचनार'' पर्यावरण परिसर, द्वितीय मंजिल, ई–5 अरेरा कालोनी,भोपाल (म0प्र0)

(2) कार्यालयीन समय

कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे एवं बन्द होने का समय सांय 5.30 बजे नियत है ।

(3) अवकाश

म0प्र0शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश हेतु मान्य किए गए हैं।

अध्याय–3

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी व अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**ii**) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश की शक्तियॉ अधिनियम के अध्याय दो की धारा 3 (2) में कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, की शक्तियॉ तथा कर्तव्यों का विवरण दिया गया है । कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, किसी भी व्यक्ति

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, के अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां/दायित्व

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता	कर्मचारी का पदनाम	सम्पादित कार्य
1	2	3	4
(1)	श्री एस. एस. राठौर	संयुक्त संचालक	जिला कार्यालय प्रमुख के रूप में नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करना. अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विकास पर नियंत्रण. विकास योजना बनाना एवं पुर्नविलोकन
(2)	श्री आर. बी. श्रवण,	अधीक्षक	लेखा एवं स्थापना शाखा से संबंधित नस्तीयों को अपने अभिमत के साथ अधिकारियों को अभिमत के लिये प्रस्तुत करना भुगतान की शुद्धता के लिये व्यक्तिगत स्वत्वों के दावों के संबंधित पंजीयों से मिलान करने की जिम्मेदारी ।
(3)	श्रीमती इंदु त्रिपाठी,	मानचित्रकार	अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निर्धारित कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत भूमि उपयोग उपांतरण संबंधी प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करना

			शासन से प्राप्त होने वाले पत्रों को विचार हेतु प्रस्तुत करना एवं कार्यालय प्रमुख के निर्देशानुसार सौंपे गये दायित्व का निर्वहन विकास योजना से संबंधित कार्य
(4)	श्री अनिल सक्सेना,	अनुरेखक	अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निर्धारित कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करना उनसे संबंधित नस्तियॉ तैयार करना, अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों हेतु कोर्डिनेशन तैयार करना, मानचित्रकार को अंकित पत्रों के संबंध में फाईल रजिस्टर में उन्हें दर्ज कर नस्ती तैयार करना तथा कार्य उपरांत रजिस्टर में दर्ज कर कोर्डिनेशन पैनल में स्वीकृति को अंकित कर सभी नस्तियों को रिकार्ड कक्ष में सौंपने से संबंधित कार्य.
(5)	श्री जयंत जोशी,	अनुरेखक	विकास योजना प्रस्तावों में भूमि की जानकारी देने का कार्य स्वीकृत विकास अनुमति के मानचित्रों में रंगीन रेखांकण एवं लेखन कार्य कर मानचित्रों को हस्ताक्षर हेतु तैयार करने में मानचित्रकारों को सहायता करना. कार्यालय में शासकीय राशि एवं शुल्क की प्राप्ति एवं उन्हें बैक में जमा करने का कार्य तथा कार्यालय से संबंधित अन्य सौंपे गये कार्य
(6)	श्री इम्तियाज कुरैशी,	सहायक ग्रेड–1	कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के संधारण एवं विभागीय कर्मचारियों से कार्यों का दिशा निर्देशों के अनुरूप निष्पादन करवाना । कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि संबंधी कार्य.
(7)	श्री. बी. पी. दोगने,	उपयंत्री	आई. डी. एस. एम. टी. से संबंधित कार्य एवं पर्यवेक्षण का कार्य,

			निर्धारित कार्य क्षेत्र अंतर्गत सर्वेक्षण संबंधी कार्य, खनिज उत्खन्न इत्यादि के साथ अवैध एवं अनाधिकृत विकास पर निर्धारित कार्य क्षेत्र में नियंत्रण की जिम्मेदारी के साथ ही भोपाल विकास योजना प्रारूप 2021 पर प्राप्त आपत्तियों को सुरक्षित रखने से संबंधित कार्य
(8)	श्री सतीश शाक्या,	उपयंत्री	विकास अनुमतियों से संबंधित निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थल निरीक्षण एवं विकास अनुमति उपरांत उनके चिन्हांकन से संबंधित कार्य तथा इस के साथ अवैध एवं अनाधिकृत विकास पर निर्धारित कार्य क्षेत्र में नियंत्रण की जिम्मेदारी.
(9)	श्री. बी. के कुलकर्णी	वरिष्ठ भू–मापक	राजधानी क्षेत्र में शासन से प्राप्त होने वाले भूमि आरक्षण प्रस्तावों को विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने विकास अनुमतियों एवं भूमि उपयोग उपांतरण से संबंधित निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थल निरीक्षण एवं विकास अनुमति उपरांत उनके चिन्हांकन से संबंधित कार्य तथा इस के साथ अवैध एवं अनाधिकृत विकास पर निर्धारित कार्य क्षेत्र में नियंत्रण की जिम्मेदारी साथ ही भूमि उपयोग प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सहायता करना.
(10)	श्री. एस. के. आथनकर,	अन्वेषक	विकास योजना लक्ष्यों के अनुरूप सांख्यिकी संकलन, सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राप्त करना तथा समय सारणी अनुरूप उनका निराकरण एवं उससे संबंधित पत्राचार शिकायतों से संबंधित पत्रों के

			संबंध में कार्यवाही, परिपत्रों के संदर्भ में दिशा निर्देशों के अनुरूप निष्पादन करवाना. न्यायालयीन, अनुसंधान एवं आयोग से संबंधित पत्राचार एवं रिकार्ड की प्रस्तुती का कार्य.
(11)	श्री. के. के. थामस,	माडलर	रिकार्ड कक्ष में नस्तीयों का संधारण एवं उनका पंजीकरण एवं रख–रखाव एवं आवश्यक होने पर उपलब्ध कराना
(12)	श्री. मनोज मार्तण्ड,	नीलमुद्रक	रिकार्ड कक्ष में नस्तीयों का संधारण एवं उनका पंजीकरण एवं रख–रखाव एवं आवश्यक होने पर उपलब्ध कराना
(13)	कुमारी हसीना बानो,	शीघ्रलेखक	शीघ्रलेखक के दायित्व का निर्वहन, फाईल का मूव्हमेंट,बैठकों से संबंधित नस्तीयों का संधारण,समय सीमा से संबंधित प्रकरणों की मानीटरिंग,कार्यालय में आने वाले कॉल (दूरभाष) को उत्तर देना.
(14)	श्री. एस. के. निम्बालकर,	सहायक ग्रेड–3	कार्यालय से जारी होने वाले पत्रों, विकास योजना रिपोर्ट इत्यादि का संपूर्ण टायपिंग कार्य एवं संयुक्त संचालक एवं सहायक संचालक द्वारा समय–समय पर दिये गये श्रुतलेखन एवं अन्य निज सहायक एवं तात्कालिक रूप से सौंपे गये कार्यालयीन व्यवस्था संबंधी कार्य करना.
(15)	श्रीमती सफिया खान,	सहायक ग्रेड–3	कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों को पंजीकरण करना कार्यालय से जारी होने वाले पत्रों को जावक करना एवं उन्हें संबंधित को प्रेषित करने से संबंधित दायित्व
(16)	श्री.एम. एम.चाण्डी,	वाहन चालक	1.कार्यालय के पूल वाहन का चलाना एवं उसके रख रखाव का दायित्व.कार्यालयके स्टोर/सामग्री के क्रय एवं रख रखाव से संबंधित दायित्व का निर्वहन

चतुर्थ श्रेणी अमला

(17)	श्री अनिरूद्ध राऊत	दफ्तरी	रिकार्ड कक्ष में नस्तीयों का संधारण एवं उनका पंजीकरण एवं रख–रखाव एवं आवश्यक होने पर उपलब्ध कराना
(18)	श्री मिश्रीलाल,	भृत्य	सहायक संचालक के निर्देशों के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन तथा कार्यालय के भीतर कर्मचारियों एवं अअधिकारियों की फाईलों एवं डाक को पहुंचाने का कार्य
(19)	श्री सज्जन सोनावने,	भृत्य	स्थापना एवं लेखा शाखा में फाईलों एवं पत्रों को निर्देशानुसार स्थानों एवं कर्मचारियों को पहुॅचाने का कार्य एवं इस कक्ष की टेबिलों की सफाई करना
(20)	श्री. रघुवीर बेले,	चेनमेन	कोषालय में देयक प्रस्तुत करना एवं चेक लाना. कार्यालय से संबंधित नगर में विभिन्न कार्यालयों आम नागरिकों को जाने वाली डाक के वितरण के साथ ही कार्यालय के अन्य कार्य.
(21)	श्री. लीलाधर पंत,	भृत्य	संयुक्त संचालक के निर्देशों के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करना

अध्याय–4

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश में कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित प्रकिया एवं प्रतिमान

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**iii & iv**) के अन्तर्गत)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, द्वारा अनुज्ञा प्रकरणों के निराकरण के लिए जो प्रकिया नगर तथा ग्राम निवेश, में निर्धारित की गई है वह निम्नानुसार है :–

1 आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984/विकास योजना पुस्तक में निर्धारित प्रारूप ।
2 आवेदन के साथ राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क रसीद/चालान संलग्न होगा । आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क नकद नगर तथा ग्राम निवेश, में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है ।
आवेदक दिए गए आवेदन के साथ सूचना के साथ भेजी जाने वाली जानकारी । सूचना के साथ उपनियम (2) से (12) तक में विहित किये गये अनुसार प्रमुख आयोजना, स्थल मानचित्र, भवन रेखांक, सेवा संबंधी नक्शे, विशिष्टियां, पर्यवेक्षण तथा स्वामित्व के स्वत्व का प्रमाणपत्र संलग्न होगा । प्रति संलग्न करेंगे ।
3 नगर तथा ग्राम निवेश, में प्राप्त होने वाली प्रत्येक आवेदन पंजीबद्ध किया जाता है तथा उसकी अभिस्वीकृति संबंधित को दी जाती है । यदि आवेदन में कुछ कमियां परिलक्षित होती हैं तो उन कमियों की पूर्ति करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निर्देशित किया जाता है और उसके लिये पर्याप्त समय आवेदनकर्ता को दिया जाता है । यदि कमियों की पूर्ति आवेदन द्वारा दिए गए समय में नहीं की जाती तब ऐसे आवेदन की नस्ती बिना कार्यवाही के नस्तीबद्ध की जाती है ।
4 अपील में यदि आवेदक संयुक्त संचालक द्वारा दी गई धारा 30 के अंतर्गत अनुज्ञा/अनुज्ञा देने से इंकार कारण के निर्णय से असहमत हो तो तो अधिनियम की धारा 31 में अपील कमिश्नर भोपाल के समक्ष कर सकता है ।
5 कमिश्नर द्वारा अभिलेख एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर, प्रतिवेदन प्राप्त होने या न होने की स्थिति में संयुक्त संचालक एवं अपीलार्थी को बुलाकर समक्ष में सुनवाई की जाती है तत्पश्चात प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है ।
5 राज्य शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सभी प्रकरण पर निर्धारित अवधि के अंतर्गत पुनरीक्षण में लिया जाकर निर्णय किया जाता है ।

विकास योजना तैयार करना प्रकिया

(चौथा अध्याय – निवेश क्षेत्र तथा विकास योजनाएं)

13 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निवेश क्षेत्रों का गठन कर सकेगी और उनकी सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा –
(क) निवेश क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगी जिससे कि ऐसे क्षेत्र को, जो कि

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें (निवेश क्षेत्र में) सम्मिलित किया जा सके या उसे उसमें से अपवर्जित किया जा सके,

(ख) दो या अधिक निवेश क्षेत्रों को इस प्रकार सम्मिलित कर सकेगी कि जिससे कि एक निवेश क्षेत्र गठित किया जा सके,

(ग) किसी भी निवेश क्षेत्र को दो या अधिक निवेश क्षेत्र में विभाजित कर सकेगी, या

(घ) यह घोषित कर सकेगी कि निवेश क्षेत्र का गठन करने वाला संपूर्ण क्षेत्र या उसका कोई भाग निवेश क्षेत्र या उसका भाग नहीं रहेगा।

(3) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 31 सन् 1961) या मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत या कोई पंचायत उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से निवेश क्षेत्रों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देगी जिनका इस अधिनियम के अधीन प्रयोग करने, पालन करने तथा निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार या संचालक सक्षम है।

14 इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए संचालक–

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार करेगा,

(ख) विकास योजना तैयार करेगा,

'' (ग) लोप किया गया

(घ) ऐसे सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करेगा और शासकीय विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा लोक संस्थाओं से ऐसी संगत रिपोर्ट अभिप्रापत करेगा जो कि योजनाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक हो,

(ड़) ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेगा जो पूर्ववर्ती किन्हीं भी कर्तव्यों तथा कृत्यों के अनुपूरक आनुषंगिक तथा परिणामिक हो या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

''15 (1) संचालक सर्वेक्षण करेगा और भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्रों को उपदर्शित करते हुए मानचित्र तैयार करेगा और उन्हें मानचित्र के तैयार हो जाने बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां कि प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके (मानचित्र के) संबंध में लिखित आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, के साथ ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाय, तुरंत प्रकाशित करेगा।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र निवेश क्षेत्र संचालक, विकास योजनाएं तैयार करेगा

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गयी सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि का अवसान हो जानेके पश्चात संचालक, ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिन्होंने कि आपत्तियां या सुझाव फाइल किये हो,सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसमें ऐसे उपान्तरण कर सकेगा जैसे कि वांछनीय समझे जाये।

(3) मानचित्र के उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अंगीकृत कर लिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संचालक मानचित्र के अंगीकृत कर लिये जाने बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों

की, जहां तक कि उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना प्रकाशित करेगा।

(4) उस सूचना की एक प्रति राजपत्र में भी प्रकाशित की जायेगी और वह इस बात का निश्चायक साक्ष्यहोगा कि मानचित्र सम्यक, रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

16 (1) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के धारा 15 के अधीन प्रकाशित हो जाने पर

(क) कोई भी व्यक्ति, संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित किये गये प्रयोजन से भिन्न हों, किसी भी भूमि के उपयोग को संस्थित नहीं करेगा या उसके (उस भूमि के) उपयोग में कोई तब्दीली नहीं करेगा या भूमि के किसी भी विकास को कार्यान्वित नहीं करेगा परन्तु संचालक अनुमति देने से इंकार नहीं करेगा यदि तब्दीली कृषि के प्रयोजन के लिए हो।

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि के उपयोग में, भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र में उपदर्शित की गयी तब्दीली से भिन्न किसी तब्दीली के लिए अनुज्ञा संचालक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं देगा।

'17 विकास योजना में उस जिले के लिए, जिसमें की निवेश क्षेत्र स्थित है मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) के अधीन तैयार की गयी कोई पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना के प्रारूप पर विचार किया जायेगा और उसमें –

(क) निवेश क्षेत्र में भूमि के प्रस्थापित उपयोग को मोटे तौर पर उपदर्शित किया जायेगा,

''(ख)''प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्रों के लिए विनियमों को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित के लिए भूमि के क्षेत्र या परिक्षेत्र मोटे तौर पर आवंटित किए जाएंगे ।

(एक) निवास संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या कृषि प्रयोजन

(दो) खुले स्थान, उपवन तथा उद्यान, हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट्स) प्राणि उद्यान तथा खेल के मैदान,

(तीन) लोक संस्थाएं तथा कार्यालय

(चार) ऐसे विशेष प्रयोजन, जिन्हें कि संचालक उचित समझें,

(ग) निवेश क्षेत्र को शेष प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य के राजमार्गों के तथा निवेश क्षेत्र के भीतर के परिधि मार्गों (रिंग रोड्स) मुख्य मार्गों (ओरटेरियल रोड्स) के और बड़े मार्गों (मेजर रोड्स) के पेटर्न अधिकथित किये जायेगें :

(घ) विमान पत्तनों, रेल्वे स्टेशनों बस टर्मिनसों की अवस्थिति के लिए उपबंध किया जायेगा और रेलों तथा नहरें का प्रस्थापित विस्तार एवं विकास उपदर्शित किया जायेगा,

(ड़) सामान्य भूदृश्यकरण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए प्रस्थापनाएं की जायेगी, भूमि के उपयोगों का स्थिरीकरण विकास योजना की विषय वस्तु

(च) निवेश क्षेत्र के संबंध में ऐसी सुख सुविधाओं तथा उपयोगी सेवाकार्यों जैसे पानी, जल निकास तथा विद्युत संबंधी अपेक्षाओं का निरूपण किया जायेगा और उन्हें पूरा करने के संबंध में सुझाव दिये जायेंगे,

(छ) परिक्षेत्र बनाने संबंधी स्थूल (ब्राड बेस्ट) विनियम प्रस्थापित किये जायेंगे जो प्रत्येक परिक्षेत्र या सेक्टर के भीतर भवन तथा संरचनाओं की अवस्थिति, उनकी ऊंचाई, उनके आकार, खुले स्थानों, प्रांगणों (कोर्टयार्डस) तथा उस उपयोग जिसमे कि ऐसे भवनों तथा संरचनाओं एवं भूमि को लाया जा सकेगा से संबंधित रूप से रेखाओं के रूप में होंगे,

(ज) किसी शहर में के यातायात परिचालन के संबंध में स्थूल प्रतिरूप (पेटर्न) अधिकथित किये

जायेंगे,
(झ) वास्तु विद्या संबंधी आकृतियों, भवनों तथा संरचनाओं की ऊंचाई तथा अग्रभाग के नियंत्रण के संबंध में सुझाव दिये जायेगे,
(त्र) बाढ़ नियंत्रण, वायु तथा जल प्रदूषण के निवारण, उच्छेष (गारवेज) के व्ययन तथा सामान्य परिवेश संबंधी नियंत्रण के उपाय उपदर्शित किये जायेंगे।
'17–क (1) राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे अर्थात :–
(क) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वले नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष
(ख) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले जिला पंचायत का अध्यक्ष,
(ग) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वलो संसद सदस्य,
(घ) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के समस्त सदस्य,
(ड़) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाले नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी, यदि कोई हो, का अध्यक्ष
(च) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाली जनपद पंचायत का अध्यक्ष,
(छ) निवेश क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या भागतः आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच,
(ज) विनिर्दिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात से अनधिक अन्य व्यक्ति जो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,
'(झ) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अनिम्न पद श्रेणी का एक अधिकारी जो संचालक द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जो समिति का संयोजक होगा।
''' (2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति प्रारूप विकास योजना की धारा 18 के अधीन प्रकाशन के पश्चात्, आपत्तियों की सुनवाई करेगी तथा संचालक को उसमें उपांतरण या परिवर्तनों का, यदि कोई हो, सुझाव देगी ।
समिति का गठन
(3) समिति का संयोजन उन समस्त सुझावों, उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को जिनके संबंध में समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन सिफारिश की गयी है लेखबद्ध करेगा और तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट संचालक को अग्रेषित करेगा।
''18 (1) ''संचालक, धारा 14 के अधीन तैयार की गई प्रारूप विकास योजना को और उसके साथ प्रारूप विकास योजना के तैयार हो जाने बाबत् तथा उस स्थान या उन स्थानों की जहां कि उनकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत् एक सूचना को जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारूप विकास योजना के संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, प्रकाशित करेगा, ऐसी सूचना में प्रारूप विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां की जाएंगी, अर्थात'' :–
(एक) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र,
(एक–क) प्राकृतिक परिसंकटों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र ''
(दो) प्रारूप विकास योजना के उपबंधो ंका स्पष्टीकरण करने वाली वृत्तात्मक रिपोर्ट जो मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा समर्थित हो,
(तीन) प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था जिसका कि संचालक द्वारा सुझाव दिया

गया है,
(चार) प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित कराने के लिए उपबंध तथा वह रीति, जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित की जायेगी,
(पांच) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन का अनुमानित खर्च तथा योजना के कार्यान्वयन मे अंतर्वलित कार्यों का अनुमानित खर्च।
(2) धारा 17–क की उपधारा (1) के अधीन गठित की गयी समिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात अधिक से अधिक नब्बे दिन के भीतर उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि उपधारा (1) के अधीन सूचना मे विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उसे प्राप्त हो, विचार करेगी और उससे प्रभावित हुए समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, प्रारूप विकास येाजना में ऐसे उपान्तरणों का सुझाव देगी जैसे कि वह आवश्यक समझे और प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के पश्चात अधिक से अधिक छह मास के भीतर इस प्रकार उपान्तरित की गयी योजना, समस्त संबंधित दस्तावेजों, योजनाओं, मानचित्रों तथा चार्टों के साथ संचालक को प्रस्तुत करेगी।
(3) संचालक, समिति से योजना तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस प्रकार प्राप्त समस्त दस्तावेजों तथा योजनाओं को, अपीन समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
19 (1) धारा 18 के अधीन विकास योजना के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार या तो विकास योजना को अनुमोदित कर सकेगी या उसे ऐसे उपान्तरणों के साथ, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे अनुमोदित कर सकेगी या उसे, ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें कि राज्य सरकार समुचित समझे, उसमें उपान्तरण करने के लिए या नई योजना तैयार करने के लिए संचालक को वापस कर सकेगी।
(2) जहां राज्य सरकार विकास योजना को उपान्तरणों के साथ अनुमोदित करें, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की गयी सूचना द्वारा ऐसे उपान्तरणों, के संबंध में उस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम तीस तीन की कालावधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करेगी।
(3) आपत्तियों सुझावों पर विचार करने के पश्चात और ऐसे व्यक्तियों की, जो यह चाहते हों कि उन्हें सुना जाय, सुनवाई करने के पश्चात, राज्य सरकार विकास येाजना मे के उपान्तरण की पुष्टि कर सकेगी। प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन विकास योजना की मंजूरी
'(4) राज्य सरकार, पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन अनुमोदित विकास योजना के अनुमोदन के बाबत तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां कि अनुमोदित विकास योजना की प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, बाबत लोक सूचना राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में जैसी कि विहित की जाय, प्रकाशित करेगी।
(5) विकास योजना उपधारा (4) के अधीन राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी और ऐसी तारीख से उन समस्त विकास प्राधिकारियों को, जो इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये हो तथा उन समस्त स्थानीय प्राधिकारियों को जो निवेश क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहे हो, आबद्ध कर होगी।

अध्याय–5

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम,अनुदेशों का विवरण

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (अ) के अन्तर्गत)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, से संबंधित नियम, विनियम, निर्देश, अनुदेशों का विवरण निम्नानुसार है :

1 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973

2 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984

3 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम,1975

4 नगर विकास योजना

5 म0प्र0शासन/आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश द्वारा प्रसारित नियम के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देश

अध्याय–6
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (vi) के अन्तर्गत)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, के विभिन्न शाखाओं में निर्धारित पंजियों का विवरण निम्नानुसार है :

1 आवक–जावक शाखा/सिंगल विण्डो– आवक पंजी, जावक पंजी, महत्वपूर्ण पत्रों, अनुज्ञा आवक/जावक पंजी इत्यादि

2 रिसर्च शाखा–न्यायालयीन प्रकरणों की पंजी, सूचना के अधिकार के नियम अंतर्गत संधारित होने वाली पंजीयॉ

3 लेखा शाखा– केश बुक, बिल रजिस्टर, कंटीजेन्सी रजिस्टर,सामान्य/विभागीय भविष्य निधि पंजी, अग्रिम समायोजन पंजी, चालान रजिस्टर इत्यादि

4 भण्डार शाखा– जनरल स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर,बिल रजिस्टर इत्यादि, इश्यू रजिस्टर, विविध क्रय रजिस्टर, लायब्रेरी रजिस्टर.

5 नियोजन शाखा–विकास अनुज्ञा–अभिमत फाईल अभिलेख पंजी, सामान्य पत्र व्यवहार/भूमि उपयोग उपांतरण प्रकरणों के फाईल का रजिस्टर इत्यादि

6 रिकार्ड कक्ष– रिकार्ड कक्ष में दाखिल फाईल अभिलेख एवं विकास अनुज्ञा नस्ती की पंजीयॉ

7 सर्वेकक्ष–सूचना पत्र/शिकायत नस्तीयों की पंजी, भूमि आरक्षण प्रस्तावों की नस्तीयों की पंजी, खनन अनापत्तियों के नस्तीयों की पंजी

अध्याय–7
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**vii**) के अन्तर्गत)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, की स्थापना 1 जुलाई 1999 में की गई है । संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, का गठन हुआ है । मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में जन–सामान्य से विचार–विमर्श करने का प्रावधान है ।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र गठन उपरांत अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार करेगा एवं अधिनियम की धारा 15 में मानचित्र तैयार होने जाने बाबत सूचना (मानचित्र के)के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर उपांतरण कर सकेगा जैसे कि वांछनीय समझे जाये ।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17–क (1) के अंतर्गत राज्य सरकार समिति का गठन किया गया है । गठित समिति प्रारूप विकास योजना की धारा 18 के अधीन प्रकाशन के पश्चात, जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई करेगी तथा संचालक को उसमें उपांतरण या परिवर्तनों का, यदि कोई हो, सुझाव देगी.

अध्याय–8

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, के अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद, कमेटियॉ

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**viii**) के अन्तर्गत)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सर्वोच्च इकाई नहीं है । अधिनियम की धारा के अन्तर्गत राज्य शासन नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय राज्य में अन्य स्थानों में कार्यालय स्थापित कर सकता है इसी परिप्रेक्ष्य वर्तमान में भोपाल सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर कार्यालयों का गठन किया गया है । समिति गठन राज्य शासन/संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश स्तर पर किया जाता है । अतः इस संबंध में कार्यालय स्तर पर जानकारी निरंक है ।

अध्याय–9

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर के पदाधिकारी, अधिकारियों की निदेशिका

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (ix) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के कार्यालय एवं निवास व दूरभाष नंबर की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता	कर्मचारी का पदनाम	अधिकारी/ कर्मचारी के कार्यालय का दूरभाष क्रमांक	अधिकारी/ कर्मचारी का मोबाईल नंबर, निवास अथवा संपर्क नंबर
1	2	3	4	5
(22)	श्री एस. एस. राठौर ई–7/115 अशोका हाऊसिंग सोसायटी,ई–7 अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल	संयुक्त संचालक	0755–2427092	0755–2429777
(23)	श्री आर. बी. श्रवण,	अधीक्षक		
(24)	श्रीमती इंदु त्रिपाठी, जी–15/21 साऊथ टी. टी0 नगर, भोपाल	मानचित्रकार	0755–2427092	
(25)	श्री अनिल सक्सेना, 37 भवानी धाम, अयोध्या बाईपास, भोपाल	अनुरेखक	0755–2427092	
(26)	श्री जयंत जोशी, ई–26 नेहरू नगर, भोपाल	अनुरेखक	0755–2427092	
(27)	श्री इम्तियाज कुरैशी, एच–14 पी. डब्ल्यू.डी. क्वाटर्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल	सहायक ग्रेड–1	0755–2427092	.....
(28)	श्री. बी. पी. दोगने, 3–4–ए साकेत नगर,भोपाल	उपयंत्री	0755–2427092	
(29)	श्री सतीश शाक्या, 10 नीम वाली रोड़,जहांगीराबाद,भोपाल	उपयंत्री	0755–2427092	
(30)	श्री. बी. के कुलकर्णी, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल	वरिष्ठ भू मापक		
(31)	श्री. एस. के. आथनकर, अन्वेषक,	अन्वेषक	0755–2427092	

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता	कर्मचारी का पदनाम	अधिकारी/ कर्मचारी के कार्यालय का दूरभाष क्रमांक	अधिकारी/ कर्मचारी का मोबाईल नंबर, निवास अथवा संपर्क नंबर
1	2	3	4	5
(32)	श्री. के. के. थामस, 20/26 नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल	माडलर	0755–2427092	0755–277051
(33)	श्री. मनोज मार्तण्ड, जी–4 गोयल अपार्टमेंट, ईदगाह हिल्स, भोपाल	नीलमुद्रक	0755–2427092	
(34)	कुमारी हसीना बानो, 765 रोशनपुरा, भोपाल	शीघ्रलेखक	0755–2427092	.....
(35)	श्री. एस. के. निम्बालकर, ई–3/278 अरेरा कालोनी, भोपाल	सहायक ग्रेड–3	0755–2427092	0755–2468040 0755–4030982 9753024278
(36)	श्रीमती सफिया खान, 210 जूनियर एम. आई. जी. डूप्लेक्स, ऐशबाग, भोपाल	सहायक ग्रेड–3	0755–2427092	.....
(37)	श्री.एम. एम.चाण्डी, एच–2/सी पी सी 228 क्वार्टस, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल	वाहन चालक	0755–2427092	
(38)	श्री अनिरूद्ध राऊत आई–80/12 साउथ टी. टी. नगर, भोपाल	दफ्तरी	0755–2427092	.....
(39)	श्री मिश्रीलाल, मकान नंब. 1096 झुग्गी बस्ती बाणगंगा, भोपाल	भृत्य	0755–2427092	
(40)	श्री सज्जन सोनावने, 905 पंचशील नगर,भोपाल	भृत्य	0755–2427092	.....
(41)	श्री. रघुवीर बेले, म.नं. 3288 नया बसेरा कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	चेनमेन	0755–2427092	
(42)	श्री. लीलाधर पंत, ए–10 ललिता नगर, नयापुरा, कोलार, भोपाल	भृत्य	0755–2427092	
(43)	श्री श्याम सिंह राजपूत, रेवड़ीवाली गली, बरखेड़ी,जहांगीराबा, भोपाल	चौकीदार	0755–2427092	

अध्याय–10

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर के पदाधिकारी, अधिकारी/कर्मचारियों का प्राप्त मासिक वेतन का विवरण

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (ग) के अन्तर्गत)

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता	कर्मचारी का पदनाम	अधिकारी / कर्मचारी का कैडर **Class I, II, III, VI**	अधिकारी/ कर्मचारी का वेतनमान	अधिकारी/ कर्मचारी का बेसिक (वर्तमान स्थिति में)/कुल प्राप्त पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6
(44)	श्री एस. एस. राठौर	संयुक्त संचालक	**I**	15660–39100	54513
(45)	श्री आर. बी. श्रवण,	अधीक्षक	**III**	9300–34800	26148
(46)	श्रीमती इंदु त्रिपाठी,	मानचित्रकार	**III**	9300–34800	22728
(47)	श्री अनिल सक्सेना,	अनुरेखक	**III**	5200–20200	17460
(48)	श्री जयंत जोशी,	अनुरेखक	**III**	5200–20200	17060
(49)	श्री इम्तियाज कुरैशी,	सहायक ग्रेड–1	**III**	5200–20200	22514
(50)	श्री. बी. पी. दोगने,	उपयंत्री	**III**	9300–34800	27353
(51)	श्री सतीश शाक्या,	उपयंत्री	**III**	9300–34800	24209
(52)	श्री. बी. के कुलकर्णी	वरिष्ठ भू–मापक		5200–20200	18019
(53)	श्री. एस. के. आथनकर,	अन्वेषक	**III**	5200–20200	21566
(54)	श्री. के. के. थामस,	माडलर	**III**	5200–20200	25126
(55)	श्री. मनोज मार्तण्ड,	नीलमुद्रक	**III**	5200–20200	14198

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पता	कर्मचारी का पदनाम	अधिकारी / कर्मचारी का कैडर Class I, II, III, VI	अधिकारी/ कर्मचारी का वेतनमान	अधिकारी/ कर्मचारी का बेसिक (वर्तमान स्थिति में)/कुल प्राप्त पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6
(56)	कुमारी हसीना बानो,	शीघ्रलेखक	III	9300–34800	32099
(57)	श्री. एस. के. निम्बालकर,	सहायक ग्रेड–3	III	5200–20200	17306
(58)	श्रीमती सफिया खान,	सहायक ग्रेड–3	III	5200–20200	16365
(59)	श्री.एम. एम.चाण्डी,	वाहन चालक	III	5200–20200	18316
(60)	श्री अनिरूद्ध राऊत	दफ्तरी	VI	4440–7440	12503
(61)	श्री मिश्रीलाल,	भृत्य	VI	5200–20200	13924
(62)	श्री सज्जन सोनावने,	भृत्य	VI	5200–20200	13493
(63)	श्री. रघुवीर बेले,	चेनमेन	VI	4440–7440	10142
(64)	श्री. लीलाधर पंत,	भृत्य	VI	4440–7440	12164
(65)	श्री श्याम सिंह राजपूत,	चौकीदार	VI	4440–7440	12101

टीप :– सभी कर्मचारियों को पारश्रमिक (को देय वेतन एवं भत्ते) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत छठवां वेतनमान के अंतर्गत प्रदान किये जा रहे है ।

अध्याय–11

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर को आवंटित बजट

(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (xi) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर को वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए 47.55 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है । वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए 46.06 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है । वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए 53.32 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है । वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए 55.72 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है ।

अध्याय–12
अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**xii& xiii**) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत गठित कार्यालय है । अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई योजना न होने से उपरोक्त विषय से संबंधित जानकारी निरंक है ।

अध्याय–13
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (**xiv**) के अन्तर्गत)

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल–सीहोर से संबंधित जानकारी कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. की जानकारी संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के वेबसाईट **http://www.mptownplan.nic.in** पर भी उपलब्ध है ।

अध्याय–14
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (xv) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. से संबंधित सूचनाएं अखबारों के माध्यम से तथा कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. की वेबसाईट, प्रदर्शनी एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. के संबंध में जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से भी जानकारी नागरिकों को उपलब्ध हो सकेगी ।

अध्याय–15

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (xvi) के अन्तर्गत)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं 19(1) के अनुसार संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश द्वारा कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नियुक्ति की गई है :

क्र0	अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष क्रमांक	अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष क्रमांक कार्यालय का पता	कार्यालय का पता
1	श्री. एस. एस. राठौर, संयुक्त संचालक, 0755–2427092	श्री आशीष उपाध्याय, आयुक्त सह संचालक 2427091	''कचनार'' पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

अध्याय–16
अन्य उपयोगी जानकारियॉ
(सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) (xvii) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश,आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान नियत है । कोई भी व्यक्ति जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. के मुख्यालय, ''कचनार'' पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल में कार्यालयीन समय 10.30 बजे से 5.30 के मध्य संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम (क्रमांक 22 सन 2005) की धारा 27 केअन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं, जिन्हें कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. द्वारा अपनाया गया है ।

3 अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4)के अधीन जानकारी/सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिए रूपये 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नकद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ उपस्थित होकर, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा । यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो रूपये 10/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प को संलग्न किया जायेगा ।

4 आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु, छपाई, लागत, जैसी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियत की जाए, नकद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदनकर्ता जमा करेगा । यदि राशि नकद जमा कराई जाती है तो सूचना अधिकारी द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद दी जाएगी एवं ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान के द्वारा जमा की जाएगी । यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा और उसके लिए एक घंटे या उससे कम के लिए रूपये 50/– का भुगतान किया जायेगा और तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए रू0 25/– नकद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में भुगतान किया जाना होगा ।

5 यदि अभिलेख का साईज ए–3 कागज के समान हैं तो दो रूपये प्रति पृष्ठ तथा ए–4 साईज के समान है तो रूपये एक प्रति पृष्ठ शुल्क देय होगा । यह शुल्क नकद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में दिया जा सकेगा । यदि जानकारी विस्तृत स्वरूप की होगी तो उसके लिए देय राशि पृथक से लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

6. यदि आवेदन पत्र डाक से भेजा जाता है तो आवेदन पत्र मय शुल्क के डाक व्यय सहित आवेदक का पता लिखा हुआ, लिफाफा साथ में भेजा जायेगा ताकि जानकारी दिए गए पते पर प्रेषित की जा सके ।

7 बी0पी0एल0 सूची के सदस्यों को डाक व्यय देय नहीं होगा ।

प्रारूप

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल–सीहोर. में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नानुसार है :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम : .....
2. पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर : .....
   पर जानकारी प्रेषित की जाना है : .....
   .....
3. दूरभाष क्रमांक : .....
4. आवेदन देने का दिनांक : .....
5. कार्यालय का नाम : .....
6. चाही गई जानकारी का विवरण :
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी रूपये 10/– नगद/स्टॉम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं). रसीद क्रमांक एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं –हॉ/नहीं ?
   यदि हॉ तो बी. पी. एल.सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहॉ से जानकारी उपलब्ध होगी .....
   .....

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (रबर सील)

दूरभाष 2427092

विकास योजना प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय भोपाल–सीहोर, मध्य प्रदेश.

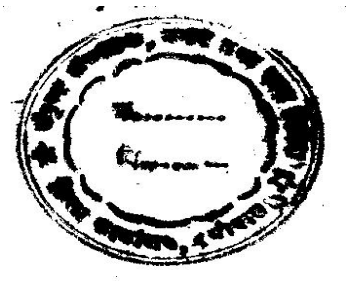

महोदय,

मैं एतद्द्वारा नगर/ग्राम.....बंदोबस्त नंबर./प.ह.नं.....
..मोहल्ला/बस्ती/कालोनी/गली.....भूखण्ड कमांक.....खसरा कमांक.....
.....को भूमि के विकास /पुर्नविकास करने का इच्छुक हूँ । क्षेत्र से संबंधित विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव उपरोक्त लिखित भूमि के लिये उपखण्ड आयोजन तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगें । विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है, तथा रसीद भी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

संलग्न :–
1. रूपये 50/–रसीद की प्रति
2. पी–।। फार्म खसरा पॉचसाला की मूल अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति
3. खसरा अक्स की मूल अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति

स्थान : भोपाल,
दिनांक.....

भूस्वामी/आवेदक के हस्ताक्षर
भूस्वामी/आवेदक का नाम.....
सुस्पष्ट डाक का पता.....
ग्राम का नाम :–.....पोस्ट.....
तहसील.....विकास खण्ड.....जिला.....
दूरभाष कमांक .....

रूपये..... प्राप्त ।
रसीद कमांक...../
दिनांक.....

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल–सीहोर(मध्यप्रदेश)

आवक शाखा

(पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)

आवेदक का नाम :–.....
ग्राम का नाम :–.....

संलग्न :–☐☐☐ ☐☐☐

हस्ताक्षर
आवक लिपिक

APPENDIX A
[Rule 17 (1)]
FORM FOR FIRST APPLICATION TO DEVELOP,ERECT RE ERECTOR TO MAKE ALTERATION IN A BUILDING

TO,

The Joint Director,
Town & Country Planning,
Distt. office Bhopal & Sehore,
(Madhya Pradesh)

Sir,

I herby give notice that I intend to develop erect re erector to make alteration in the building No……. or to…….
On in/Plot No……in Colony/street……...(MOHALLA /BAZAR/ROAD)……..(CITY) Bhopal and in accordance with the rule 17 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules 1984. I forward herewith the following plans and specifications in quadraplicate duly signed by me and ……the (Architect/Structural Engineer/ Engineer/Supervisor/Town Planner.
Name in Block Letters).
License No……../ T&CP/ who will supervise its erection.

1. **Key Plan**
2. **Site Plans**
3. **Sub Division/Layout Plan**
4. **Building Plans**
5. **Services Plans**
6. **Specifications, General and Detailed**
7. **Ownership Title**

I, request that the development construction may be approved and permission accorded to me to execute the work.

Signature of the owner……
Name of the owner……
Address of the owner…….
……

Date…… Phone No…….

APPENDIX B
[Rule 17 (9)]

FORM FOR SUPERVISION

I hereby certify that the development] erection re-erection or material alteration in / of Building No……or the ……on/ in Plot No……..colony/streeet……MOHALLA/BAZAAR/ROAD…… …… CITY……shall be carried out under my supervision and I certify that all the materials (type and grade) and the workmanship of the work shall be generally in accordance with the general and detailed specification submitted along with, and that the work shall be carried out according to the sanctioned plans.

Signature of Architect/Structural Engineer/ Engineer/Supervisor/Town Planner. ……..

Name of Architect/Structural Engineer/ Engineer/Supervisor/Town Planner. ……..

Name in Block

Licence No.Architect/Structural Engineer/ ……

Engineer/Supervisor/Town Planner.

Address of Architect/Structural Engineer/ Engineer/Supervisor/Town Planner. ……..

Place……
Date…….

परिशिष्ट ''क''

खनियम–17 (1),

किसी भवन के विकास, निर्माण्ण पुर्नर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए प्रथम आवेदेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

_____

_____

_____

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं नगर ..... मोहल्ला, बाजार सड़क ....

बस्ती मार्ग ..... में भवन क्रमांक ..... अथवा प्लाट क्रमांक .....

में पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17 के ..... के अनुसार विकास निर्माण पुनर्निर्माण

अथवा परिवर्तन करना चाहता हूं और मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद इंजीनियर पर्यवेक्षक नगर

निवेशक, अनुज्ञाप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) ..... जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा

समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूं :–

1 मुख्य रेखांक

2 स्थल रेखांक

3 उप विभाग – अभिन्यास योजना

4 भवन नक्शे

5 सेवा आयोजना

6 विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत

7 स्वामित्व संबंधी हक

मैं निवेदन करता हूं कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाय और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति प्रदान की

जाय।

स्वामी के हस्ताक्षर .....

स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में) .....

स्वामी का पता .....

तारीख .....

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिए ..... रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

परिशिष्ट " ख "
नियम 17 (10)
पर्यर्ववेक्षेक्षण के लिए प्रारूप

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हुं कि खण्ड क्रमांक ..... बस्ती /मार्ग क्रमांक .... मोहल्ला
/बाजार / सड़क ..... पर स्थित भवन क्रमांक ..... मैं, का विकास कार्य निर्माण,
पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन का कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया जायेगा और मैं यह प्रमाणित करता हूं कि सामग्री (प्रकार तथा
श्रेणी) और कार्य की कारीगरी सामान्य रूप से इसके साथ प्रस्तुत की गयी सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप होंगी
और कार्य स्वीकृत रेखाओं के अनुसार किया जायेगा।
वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर /पर्यवेक्षक .....
.....
निवेशक के हस्ताक्षर
वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर /पर्यवेक्षक .....
.....
नगर निवेशक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर /पर्यवेक्षक .....
.....
नगर निवेशक की अनुज्ञाप्ति का क्रमांक
वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर /पर्यवेक्षक .....
.....
नगर निवेशक का पता
तारीख .....

परिशिष्ट ग
देखिए नियम 26

प्राधिकारी का नाम .....
.....
जिसे ..... पर अधिकारिता है। वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर
/पर्यवेक्षक / नगर निवेशक के रूप में कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अधीनी जारी की गई अनुज्ञप्ति का प्रारूप
(देखिये नियम 7)
अनुज्ञप्ति ..... तारीख .....
यह अनुज्ञप्ति श्री /मेसर्स .....
..... (नाम तथा पता)
..... को .....
.....
की अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी का नाम (वास्तुविद /संरचना इंजीनियर / इंजीनियर
/पर्यवेक्षक / नगर निवेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जैसा कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में दिया
गया है मंजूर की जाती है।
यह अनुज्ञप्ति दिनांक ..... को समाप्त होगी। अनुप्तिधारी ने रसीद क्रमांक .....
पुस्तक क्रमांक ..... दिनांक के अनुसार ..... रूपये की फीस का भुगतान किया है।
यह अनुज्ञप्ति नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन होगी।
स्थान ..... प्राधिकारी की मोहर
.....
अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम
दिनांक

शर्तें

1 अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
2 अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहजगोचर स्थान पर इस अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर ..... के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा (अधिकारिता रखने वाला अधिकारी) उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
3 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पूर्व उसका नवीकरण करायेगा।
(4) अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के उपबंध का पालन करेगा और इस अनुज्ञप्ति के निबंधन के अंतर्गत कार्य करेगा।
(5) अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे दिये अनुसार सीमित होगी :–
(क) वास्तुविद : अनुज्ञप्त वास्तुविद नीचे दिये अनुसार भवन परमिट से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और

निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा :–
(क) भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।
(ख) 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर तथा तीन मंजिल वाले 11 मीटर ऊंचे आवासीय भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा संगणनाएं।
(ग) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
(घ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र से संबंधित विकास परमिट सहित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी और
(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।
(ख) संरचना इंजीनियर :– अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर, भवन निर्माण आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा –
(क) आकार तथा ऊंचाई पर ध्यान दिये बिना, ऐसे सभी भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी,
(ख) समस्त भवनों के लिए संरचना ब्यौरे (एवं संगणनाएं)
(ग) समस्त भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(घ) एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी
(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।
(ग) इंजीनियर – अनुज्ञप्त इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन परमिट से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और
निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–
(क) भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।
(ख) 500 वर्गमीटर तथा चार मंजिलें (15 मीटर ऊंचाई) तक के भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा संगणनाएं।
(ग) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
(घ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र से संबंधित विकास परमिट सहित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी और
(ड़) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र।
(घ) पर्यवेक्षक – अनुज्ञप्ति पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–
(क) 200 वर्ग मीटर तथा दो मंजिला वाले अथवा 7–5 मीटर ऊंचे आवासीय भवनों के लिए भवन परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी
(ख) उन भवनों के लिए जो (क) में दिये गये पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र
(ड़) नगर निवेशक : अनुज्ञापित नगर निवेशक निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा :–
(क) सभी क्षेत्रों के विकास परमिट से संबंधित सभी रेखांक तथा जानकारी।
(ख) सभी भवनों के लिए पर्यवेक्षण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
(च) समूह या अभिकरण :– जब कोई अभिकरण या कोई अर्हता प्राप्त वास्तुविद /इंजीनियर / नगर निवेशक का समूह कार्य कर रहा हो, तब कार्य की अर्हता और सक्षमता वैयक्तिक अर्हताओं और सक्षमता का समन्वय होगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षण कार्य संबंधी सभी संगत अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक लिखे और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा और इन शर्तों में से किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाली अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेंगी।

परिशिष्ट ''घ''

(नियम 27)

विकास अनुज्ञा /भवन की अनुज्ञा की स्वीकृति करने या उसकी अस्वीकृति के लिए प्रारूप

प्रति,

.....

.....

.....

महोदय,

खसरा क्रमांक ..... भूखण्ड क्रमांक ..... बस्ती /मार्ग .... मोहल्ला /बाजार ..... नगर क्रमांक ..... में भूमि /भवन के विकास /निर्माण हेतु परमिट की स्वीकृति के लिए आपसे आवेदन ..... दिनांक ..... के संदर्भ में आपको सूचित करता हूं कि प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारो पर स्वीकृति नहीं की गयी है।

निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृति दी गयी है।

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(6) .....

(1) .....

(2) .....

कार्यालय स्टाम्प प्राधिकारी के हस्ताक्षर .....

कार्यालय (पत्र व्यवहार) प्राधिकारी का नाम .....

क्रमांक ..... पद नाम ....

दिनांक ..... पता ....

.....

परिशिष्ट ड़
(नियम 31 / घ)
कार्य प्रारम्भ करने के लिए सूचना का प्रारूप

मैं एतदद्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि भवन क्रमांक ..... में का विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन या भू–खण्ड क्रमांक ..... बस्ती /मार्ग .... मोहल्ला बाजार /सड़क .....नगर ..... में आपकी अनुमति के अनुसार देखिये क्रमांक .....दिनांक .... अनुज्ञप्त वास्तविक संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक /नगर निवेशक .... के पर्यवेक्षण के अधीन, अनुज्ञप्ति ..... तथा मंजूर रेखांक के अनुसार प्रारम्भ किया जायेगा। देखिये क्रमांक ..... दिनांक ....

दिनांक ..... स्वामी के हस्ताक्षर .....

स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में)

स्वामी का पता .....

.....

परिशिष्ट च
(नियम 31 / 2)
कुर्सी स्तर पर भवन के निरीक्षण के लिए सूचूचना का प्रारूप

मैं एतदद्वारा, अधिसूचित करता हूं कि भवन क्रमांक ..... भू–खण्ड क्रमांक .... बस्ती /मार्ग .....
..... मोहल्ला बाजार /सड़क ..... नगर .....
..... में निर्माण, पुनर्निमाण या भौतिक परिवर्तन, जिसके लिए ..... को प्रारम्भ करने की सूचना दी जा चुकी है, कुर्सी
स्तर तक पहुंच चुका है अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर कार्य का निरीक्षण कर लें तथा उसके बाद में उपयुक्त कुर्सीस्तर से ऊपर का निर्माण कार्य प्रारम्भ करूंगा। उक्त कार्य आपके द्वारा दी गयी अनुमति के अंतर्गत आता है, देखिए क्रमांक .... दिनांक .....
तथा अनुज्ञप्त वास्तुविद /संरचना इंजीनियर /इंजीरियर /पर्यवेक्षक /नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... के
पर्यवेक्षणाधीन तथा मंजूरी रेखाओं के अनुसार किया जा रहा है। देखिये क्रमांक ..... दिनांक .....
स्वामी के हस्ताक्षर .....
स्वामी का नाम .....
(स्पष्ट अक्षरों में)
स्वामी का पता .....
.....
दिनांक .....

परिशिष्ट छ

(नियम 31/ 2 (च))

कार्य पूर्णर्तता प्रम्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

मैं एतदद्वारा, यह प्रमाणित करता हूं कि भू–खण्ड क्रमांक ..... बस्ती /मार्ग .... मोहल्ला
बाजार /सड़क ..... नगर ..... में स्थित भवन के विकास, निर्माण,
पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन का पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा मंजूरी रेखांकों के अनुसार . .....
को पूर्ण हुआ है, देखिये .....क्रमांक..... दिनांक .... कार्य मेरे
सर्वोत्तम समाधान, कारीगरी के अनुसार पूर्ण हुआ है तथा सभी सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) का उपयोग तथा सामान्य
तथाविस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किया गया है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के किसी भी उपबंध की गयी किसी भी
अध्यपेक्षा का विहित किसी भी शर्त का जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन कार्य के दौरान नहीं किया गया है। भूमि ऐसे
निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसका विकास या पुर्नविकास किया गया है या भवन उस उपयोग के लिए
उपयुक्त है जिसके लिए उसका निर्माण, पुनः निर्माण या उसमें परिवर्तन, उसका निर्माण तथा उसमें वृद्धि की गयी है।
मैं एतद्द्वारा, सभी दृष्टियों से पूर्ण भवन के रेखांक भी संलग्न करता हूं।
वास्तुविद संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक / ....
नगर निवेशक के हस्ताक्षर
वास्तुविद संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक / ....
नगर निवेशक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
वास्तुविद संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक / ....
नगर निवेशक की अनुज्ञप्ति का क्रमांक
वास्तुविद संरचना इंजीनियर /इंजीनियर /पर्यवेक्षक / ....
नगर निवेशक का पता
स्वामी के हस्ताक्षर ....
दिनांक ....
नोट : जो भी लागू न होता हो उसे काट दें।